भारत–नेपाल संबंधों का वर्त्तमान में बदलती हुई परिस्थितियाँ

डॉ० सुकल्याण मोइत्रा

एसोसिएट प्रोफेसर

स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग,

विनोबा भावे विश्वविद्यालय,

हजारीबाग।

अगस्त 2019 में भारतीय संसद के द्वारा जम्मू–कश्मीर को मिली विशेष राज्य की दर्जा को समाप्त कर दिया तथा जम्मू–कश्मीर के विभाजन करने के बाद भारत सरकार के द्वारा नया मानचित्र का प्रकाशन किया गया जिसे नेपाल सरकार द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारत द्वारा मानचित्रों में छेड़खानी की गई है।

भारत सरकार के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये उत्तराखण्ड के धाराचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क का निर्माण किया गया। जिसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा अप्रैल 2020 में की गई। उद्घाटन के बाद नेपाल ने इसे एक तरफा कार्यवाही बताते हुए विरोध दर्ज की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा पेश की काली नदी के पूर्व का भाग नेपाल का हिस्सा है। नेपाल के द्वारा अधिकारिक रूप से नया मानचित्र का प्रकाशन किया गया जिसमें उत्तराखण्ड के कालापानी, लिंपियाधुरा तथा लिपुलेख को अपना संप्रभु क्षेत्र का भाग माना। नेपाल की ऐसी प्रतिक्रिया ने भारत को हैरान कर दिया।

कोरोना महामारी के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के०पी० शर्मा ओली ने भारत पर यह आरोप लगाया कि नेपाल के कोरोना का प्रसार भारत के द्वारा हुआ है जिससे दोनों के रिश्ते ओर तनावपूर्ण हो गये।

भौगोलिक पृष्ठभूमि :–

नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का एक अंग है तथा यह चारों से स्थल से घिरा हुआ देश है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा–सा राष्ट्र है जिसका क्षेत्रफल 1,48,000 Km^2 तथा जनसंख्या 3 करोड़ है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत से, उत्तर में चीन (तिब्बत) से घिरा नेपाल भारत और चीन के बीच में एक प्रतिरोधक राज्य (Buffers State) माना जाता है।

भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है जिसकी लंबाई 1850 Km से ज्यादा है। नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के साथ लगती है। सीमा का लगभग 98 प्रतिशत से ज्यादा निर्धारण किया जा चुका है। नेपाल के साथ उत्तराखण्ड के कालापनी, लिंपियाधुरा, लिपुलेख तथा बिहार के पश्चिम चंपारण के सुस्ता सीमा विवाद है।

भारत–नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि :–

पृथ्वी नारायण शाह ने संपूर्ण नेपाल को जीत कर सन् 1768 में एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की। 1815–1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ जिसमें नेपाल की पराजय हुई। इसके बाद दोनों के बीच 1816 में बिहार के सुगौली नामक स्थान पर सुगौली की संधि हुई जिससे दोनों के बीच सीमा का निर्धारण हुआ। सुगौली संधि के द्वारा काली (महाकाली) नदी के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया। इसी संधि के अनुसार नेपाल यह दावा करता है कि काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिंपियाधुरा, कालापानी एवं लिपुलेख उसका भाग है जबकि भारत यह दावा करता है कि काली नदी के पश्चिम के सभी क्षेत्र उसका संप्रभु हिस्सा है।

भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी नेपाल है जिसके साथ प्राचीन काल से ही भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रहे हैं जिसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर स्पष्ट रूप से दिखता है। भारत और नेपाल हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म में समान संबंध रखते हैं। हिन्दू धर्म में माता सीता का जन्म स्थल नेपाल के जनकपुर तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल की लुम्बिनी में तथा निर्वाण स्थान भारत के कुशीनगर में है।

भारत–नेपाल शांति और मित्रता संधि 1950 :–

भारत–नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि 31 जुलाई 1950 को हुआ। नेपाल के अंतिम राणा प्रधान मंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा एवं नेपाल में भारतीय राजदूत चंद्रेश्वर नारायण सिंह द्वारा काठमाण्डू में हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि 31 जुलाई 1950 को ही लागू हो गया। इस संधि दोनों देशों के नागरिकों एवं वस्तुओं की मुक्त आवाजाही तथा रक्षा एवं विदेश नीति के मामलों सहयोग की अनुमति प्रदान करती है।

इस संधि में महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित है–

अनुच्छेद–1 :– भारत सरकार और नेपाल के बीच चिरस्थायी शांति और मित्रता होगी। दोनों सरकारें एक–दूसरे की पूर्ण संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता और स्वतंत्रता को स्वीकार एवं सम्मान करेगी।[1]

अनुच्छेद–2 :– दोनों सरकारें किसी पड़ोसी राज्य के साथ किसीभी गंभीर टकराव या के बारे में सूचित करने की वचन देती है।[2]

अनुच्छेद–3 :– प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के माध्यम से एक–दूसरे के साथ राजनायिक संबंध जारी रखने के लिए सहमत है।[3]

अनुच्छेद–4 :– दोनों सरकारें महाणिज्य दूत एवं अन्य कांसुलर एजेंटों को नियुक्त करने के लिए सहमत है।[4]

अनुच्छेद–5 :– नेपाल सरकार नेपाल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार, गोला–बारूद या युद्ध जैसी सामग्री और उपकरण, भारत के क्षेत्र से या उसके माध्यम से आयात करने के लिए स्वतंत्र होगी।[5]

अनुच्छेद–6 :– प्रत्येक सरकार भारत एवं नेपाल के बीच पड़ोसी मित्रता के प्रतीक में, दूसरे के नागरिकों को अपने क्षेत्र में, ऐसी क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में भागीदारी के संबंध में राष्ट्रीय उपचार देने और रियायतें देने का वचन देती है।[6]

अनुच्छेद–7 :– भारत और नेपाल की सरकारें पारस्परिक आधार पर, एक देश के नागरिकों को दूसरे के क्षेत्र में निवास, संपत्ति के स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में भागीदारी प्रदान करनेके लिए सहमत हैं।[7]

अनुच्छेद–8 :– जहाँ तक यहाँ से संबंधित मामलों का संबंध है, यह संधि ब्रिटिश सरकार और नेपाल सरकार के बीच भारत की ओर से की गई सभी पिछली संधियों, समझौतों और अनुबंधों को रद्द कर देती है।[8]

अनुच्छेद–9 :– यह संधि दोनों सरकारों के हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगी।[9]

अनुच्छेद–10 :– यह संधि तब तक लागू रहेगी जब तक कि इसे किसी भी पक्ष द्वारा एक वर्ष का नोटिस देकर समाप्त नहीं किया जाता है।[10]

सहयोग के क्षेत्र :–

भारत और नेपाल के बीच संबंध प्राचीन काल से ही मधुर रहे हैं। भारत इतना करीब किसी अन्य देश के साथ कभी नहीं रहा है जितना की नेपाल के साथ रहा। 1950 के बाद भारत–नेपाल के संबंध में उतार–चढ़ाव देखने मिलते हैं, फिर भी दोनों देशों की बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं, जो निम्नलिखित है–

सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र :–

दुनिया के दो प्रमुख धर्म, हिन्दू और बौद्ध धर्म, का विकास भारत और नेपाल में हुआ। इस कारण दोनों देश सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं। माता सीता का जन्मस्थली नेपाल के जनकपुर में है। नेपाल के काठमाण्डू में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर तथा अनेकों हिन्दू धार्मिक स्थल है। जहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में भारत के हिन्दू श्रद्धालु नेपाल जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा रामायण सर्किट का निर्माण किया जा रहा जो दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है।

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्मस्थान नेपाल के लुंबिनी है तथा ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुआ था एवं निर्वाण स्थल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। भारत एवं नेपाल के अधिकतर नागरिक हिन्दू एवं बौद्ध धर्म को मानते हैं जिसके कारण लाखों की संख्या में नागरिकों का आवाजाही होता है। भारत ने काठमाण्डू–वाराणसी लुंबिनी–बोधगया तथा जनकपुर–अयोध्या को जोड़ने के लिय तीन 'सिस्टर–सिटी' समझौते पर हस्ताक्षर की है।

सामाजिक क्षेत्र :–

भारत तथा नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर से ज्यादा का खुली सीमा है जो भारत–नेपाल के संबंधों की विशिष्टता को दर्शाती है। एक दूसरे देश में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता ना होने तथा खुली सीमा होने के कारण दोनों देश के लोगों को आवागमन में सुगमता होती है।

लगभग 30 लाख नेपाली नागरिक भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं तथा लगभग 55 हजार भारतीय नागरिक नेपाल में रोजगार करते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र तथा नेपाल के तराई क्षेत्र के लोगों के बीच आजीविका के साथ–साथ पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। आजीविका और वैवाहिक संबंधों की नींव को ही रोटी–बेटी का रिश्ता नाम दिया जाता है।

आर्थिक क्षेत्र :–

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। नेपाल की कुल विदेशी व्यापार का दो तिहाई व्यापार भारत के साथ होता है।[11] नेपाल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 47% भारत निवेश करता है।[12] भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा प्रदान करता है। भारत के कपनियाँ नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है जिसमें से विनिर्माण, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, सेवा क्षेत्र प्रमुख है।

अवसंरचनात्मक विकास का क्षेत्र :–

भारत सरकार नेपाल में जमीनी स्तर पर अवसंरचनात्मक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है ताकि नेपाल की विकास हो सके। अवसंरचनात्मक विकास में स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, सड़क, रेलवे, हवाई पट्टी जैसे क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहा है। नेपाल से निकलने वाली नदियाँ जल विद्युत क्षमता के संदर्भ में भारत की ऊर्जा की जरूरत पूरा करने में सक्षम है।

रक्षा सहयोग :–

भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत भारत नेपाली सेना का उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से आधुनिकीकरण करता है। भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट में नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओंकी भर्ती की जाता है। भारतीय सेना में लगभग 50–70 हजार नेपाली है। भारत और नेपाल वर्ष 2011 से प्रति वर्ष 'सूर्यकिरण' नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है।

आपदा प्रबंधन –

नेपाल भौगोलिक रूप से हिमालय में अवस्थित है। हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृखला है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। इस कारण नेपाल में भूकंप, हिमस्खलन, भू–स्खलन, बाढ़ तथा बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत आपदा के स्थिति में कर्मियों की सहायता के साथ–साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।

25 अप्रैल 2015 में नेपाल में बहुत तीव्र गति का भूकम्प आया जिसका तीव्रता रिक्टर पैमाना 8.1 था, जिसमें 8,964 नागरिकों की मौत हुई तथा 22,000 से ज्यादा घायल हुए थे। इस समय भारत सरकार ने सबसे पहले बचाव एवं राहत अभियान शुरू की। भारत के द्वारा 'ऑपरेशन मैत्री' चलाया गया जिसके द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 15 टीमें तथा भारतीय वायुसेना को लगाया गया। भारत ने भूकम्प के बाद तत्काल 60 टन राहत सामग्री, टेंट, खाद्य पदार्थ नेपाल को भेजे।

संचार क्षेत्र :–

नेपाल एक भू–आबद्ध देश है। भारत नेपाल का अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए पारगम्य की सुविधा उपलब्ध कराता है। भारत नेपाल को समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता तथा मुम्बई बंदरगाह उपलब्ध कराता है। भारत–नेपाल अपने नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई कनेक्टिविटी कार्यक्रम चला रहे हैं। भारत और नेपाल सरकार के बीच भारत के रक्सौल से काठमांडू के बीच इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने का समझौता हुआ। व्यापार एवं पारगमन व्यवस्था के लिए कार्गो की आवाजाही के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग का किया जाना प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य क्षेत्र :–

भारत सरकार के द्वारा नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है साथ–ही–साथ तकनीकी मानवीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। कोरोना महामारी के समय भारत टीका कूटनीति (Vaccine diplomacy) के तहत भारत में निर्मित कोरोना टीका का 10 लाख टीका निःशुल्क रूप में नेपाल को प्रदान की साथ–ही–साथ कोरोना उपचार में आने वाली दवाई एवं चिकित्सक किट भी प्रदान की।

बहुपक्षीय साझेदारी :–

भारत और नेपाल कई अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंचों जैसे BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल), बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल), सार्क (क्षेत्रीय सहयोग के लिये दक्षिण एशियाई संघ), गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं राष्ट्र संघ एवं उसके एजेंसी में मंच साझा करता है।

विवाद के क्षेत्र :–

भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू व कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा नया मानचित्र जारी किया गया। नेपाल के द्वारा इसका विरोध दर्ज की गई। भारत सरकार ने उत्तराखण्ड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क का निर्माण किया है। नेपाल के द्वारा यह दावा किया गया कि उत्तराखण्ड के कालापानी, लिपिंयाधुरा एवं लिपुलेख का क्षेत्र उसका है तथा भारत ने बिना वार्त्ता किये सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें कालापानी, लिपिंयाधुरा, लिपुलेख सहित बिहार के सुस्ता को अपना संप्रभु हिस्सा बताया। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई ब्रिटिश भारत एवं नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि का उल्लेख किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस संधि के

अनुसार काली नदी के पूर्व में सभी क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है जो भारत संप्रभु अंग है। जबकि सुगौली संधि में काली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है।

सितम्बर 2015 में नेपाल ने अपना संविधान लागू किया। नेपाल ने जिस रूप में भारत से आशा की थी भारत ने नेपाली संविधान का स्वागत उस रूप में नहीं किया जिससे दोनों की रिश्ते में टकराहट उत्पन्न हो गई। संविधान के लागू होने के बाद मधेशियों के द्वारा नागरिकता के अधिकार के मांग को लेकर आंदोलन की। इस आंदोलन ने भारत की तरफ से आने वाले वस्तुओं को सीमावर्ती क्षेत्र में रोक दिया गया। नेपाल सरकार ने भारत पर यह आरोप लगाया कि मधेशियों के समर्थन में भारत सरकार ने आर्थिक नाकाबंदी की है। नवम्बर 2015 में जेनेवा भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद का उपयोग किया, जिसे नेपाल ने आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप माना।

वर्ष 2017 में चीन की बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव (BRI) परियोजना में नेपाल शामिल हो गया, परन्तु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल ने होने का दबाव डाल रहा था, जिसे नेपाल को रास नहीं आया। भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी से भी नेपाल ने नाराजगी व्यक्त की।

नेपाल पर चीन का प्रभाव :–

चीन अपना प्रभाव नेपाल में लगातार बढ़ा रहा है। चीन की मौजूदगी संपूर्ण एशिया में हो गई है। चीन की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं में नेपाल सहित सभी दक्षिण एशियाई देश शामिल हो गये है। भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। BRI परियोजना भारतीय संप्रभुता और राष्ट्रीयहित को प्रभावित करती है।

नेपाल के विद्यालयों में चीन में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, मंदारिन भाषा को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंदारिन भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्च चीनी सरकार देने को तैयार है। चीन के द्वारा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिक्रमण करके स्थायी बस्ती का निर्माण किया गया है। चीन नेपाल की बुनियादी परियोजनाओं में भारी खर्च कर रहा है। नेपाल में साम्यवादी सरकार के निर्माण में साम्यवादी दलों के गठबंधन बनाने में चीनी राजदूत के द्वारा हस्तक्षेप किया गया।

भारत के लिए नेपाल का महत्व :–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देशों के लिए 'पड़ोस प्रथम की नीति' का अनुसरण किया। पड़ोस प्रथम की नीति के तहत प्रधानमंत्री का पहला विदेशी यात्रा नेपाल था।

भारत–नेपाल में वर्त्तमान समय में कई द्विपक्षीय समझौते किये गये हैं जिनमें कृषि, रेलवे, बुनियादी दाँचा, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र एवं अंतदेर्शीय जलमार्ग महत्वपूर्ण है। रामायण सर्किट, सिस्टर सिटी समझौता, रक्सौल–काठमाण्डू रेलवे लिंक एवं मोतिहारी से नेपाल के अमेलखगंज तक ऑयल पाइपलान इत्यादि महत्वपूर्ण परियोजना है। दोनों देशों के नागरिकों के मध्य आजीविका का साधन का वैवाहिक संबंध के कारण 'रोटी–बेटी' का संबंध है।

मूल्यांकन :–

भारत और नेपाल के मध्य प्राचीन काल से घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध है। इसलिए ऐसा कोई भी कदम ना उठाया जाय कि मतभेद विवाद में बदल जाऐ। ऐसे में दोनों देश को शांति से सभी मुद्दों का सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जल विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करना चाहिए। सीमा विवाद का समाधान कूटनीतिक वार्त्ता के द्वारा करना चाहिए।

भारत सरकार को अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। भारत को नेपाल के प्रति एक दूरदर्शी नीति बनानी होगी जो नेपाल में चीन के प्रभाव को बढ़ने से रोक सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विस्वास, तपन. (2016). अंतर्राष्ट्रीय संबंध. दिल्ली : ओरियट ब्लॉक स्वान प्राइवेट लिमिटेड.
2. सिंह, रहीस. (2016). अंतर्राष्ट्रीय संबंध. Lexisnexis Haryana, India.
3. राय, मीनू. (2010). इण्डिया एण्ड हर सब्काण्टिनेण्ट नेबर : न्यू पेटर्न ऑफ रिलेशनशिप. नई दिल्ली : दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स.
4. द्विवेदी, रमेश. (2008). इण्डियाज रिलेशन विद हर नेबर्स. नई दिल्ली, ईशा बुक पब्लिकेशन्स
5. www.india.gov.in
6. www.mea.gov.in
7. www.indembkathmandu.gov.in
8. www.mofa.gov.ne
9. www.innepalembassy.gov.in
10. www.drishtiias.com
11. The Times of India
12. The Hindu
13. The Indian Express
14. Business Line
15. शांति एवं मित्रता की संधि, 1950 (1 to 10)
16. Wikipedia (11 to 12)